# जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांक / जी.वि.वि / परीक्षा / 2025 / 16545 दिनांक : 2/5/25

प्रति,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त स्वाशासी / असंस्थागत / अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

विषयः— छात्र / छात्राओं द्वारा एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत दो पाठ्यक्रमों मे एक साथ नियमित / असंस्थागत प्रवेश लेने के उपरांत एक प्रवेश एवं दी गई परीक्षा को निरस्त कराने के सम्बध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि कुछ छात्र / छात्राओं द्वारा एक साथ दो पाठ्यक्रमों मे नियमित / असंस्थागत प्रवेश लेने एवं परीक्षा देने के उपरांत एक पाठ्यक्रम का प्रवेश एवं परीक्षा निरस्त कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु निम्न बिन्दुओ के आधार पर प्रवेश तथा परीक्षा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय निम्नानुसार है।

1. जिस महाविद्यालय में प्रवेश लिया गया है। उस महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा / टी.सी. लिया जाना उचित होगा।
2. छात्र / छात्राओं द्वारा दी गई परीक्षाओं को निरस्त कराये जाने के लिये शपथ पत्र पर अपनी स्वेच्छा से निरस्त कराये जाने का शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा।
3. छात्र / छात्राओं को उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं की मूल अंकसूची को विश्वविद्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
4. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत दी गई परीक्षाओं को विश्वविद्यालय में संधारित टी.आर मे परिणाम को निरस्त कराया जाना उचित होगा एवं छात्र का पूर्व का प्रवेश एवं परीक्षा निरस्त होने के उपरांत ही आगामी पाठ्यक्रम की परीक्षा का आवेदन भरवाया जाना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अनुसार छात्र / छात्राओं के दस्तावेज व कार्यवाही करने के उपरांत ही विश्वविद्यालय को आवेदन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. कुलगुरू के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
3. सहायक कुलसचिव(गोप / परीक्षा) जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

उपकुलसचिव(परीक्षा)